

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

(07836-232721(कार्या.), 232722 (फैक्स), Email ID-korea.cg@nic.in)

क्रमांक 119 / वाचक / 2020

बैकुण्ठपुर, दिनांक 13 / 01 / 2020

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :—

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट" (A Part of Digital India) हेतु कोरिया जिला क्षेत्र के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत भरतपुर अनुभाग में शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 5.368 वनभूमि में 0.244 हे. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर " के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध।

संदर्भ :- प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक/ भानेप्रो-II / वनभूमि/ एफआरए-अनापत्ति/ 2019-20, रायपुर दिनांक 20.11.2019

—00—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट" के तहत कोरिया जिला क्षेत्र के मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत भरतपुर अनुभाग अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है :-

राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

क्र.	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे. में	मद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	भरतपुर	बहरासी	426	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
2.	भरतपुर	बहरासी	428	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	

क्र.	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे. में	मद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
3.	भरतपुर	तिलौली	433	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
4.	भरतपुर	कुवॉरपुर	323	0.014	बड़े झाड़ के जंगल	
5.	भरतपुर	कुवॉरपुर	332	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	
6.	भरतपुर	चॉटी	234	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
7.	भरतपुर	गॉजर	196	0.011	छोटे झाड़ के जंगल	
8.	भरतपुर	मसौरा	31	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
9.	भरतपुर	मसौरा	34	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
10.	भरतपुर	मसौरा	41	0.014	छोटे झाड़ के जंगल	
11.	भरतपुर	रॉपा	172	0.011	छोटे झाड़ के जंगल	
12.	भरतपुर	रॉपा	172	0.011	छोटे झाड़ के जंगल	
13.	भरतपुर	दुधासी	68	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	
14.	भरतपुर	रांपा	6	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
15.	भरतपुर	घघरा	265	0.007	छोटे झाड़ के जंगल	
16.	भरतपुर	घघरा	309	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	
17.	भरतपुर	भगवानपुर	842	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
18.	भरतपुर	कुंवारी	395	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
19.	भरतपुर	कुंवारी	396	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
20.	भरतपुर	कुंवारी	397	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
21.	भरतपुर	बेलगाँव	331	0.007	छोटे झाड़ के जंगल	
22.	भरतपुर	बेलगाँव	332	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
23.	भरतपुर	बेलगाँव	334	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
24.	भरतपुर	बेलगाँव	336	0.004	छोटे झाड़ के जंगल	
25.	भरतपुर	बेलगाँव	341	0.001	छोटे झाड़ के जंगल	
26.	भरतपुर	बेलगाँव	343	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
27.	भरतपुर	बेलगाँव	151	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
28.	भरतपुर	बेलगाँव	175	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
29.	भरतपुर	बेलगाँव	233	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
30.	भरतपुर	हरचोका	539	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
31.	भरतपुर	हरचोका	548	0.014	बड़े झाड़ के जंगल	

क्र.	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा हे. में	मद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
32.	भरतपुर	बेला	556	0.008	छोटे झाड़ के जंगल	
33.	भरतपुर	जनुआ	517	0.015	बड़े झाड़ के जंगल	
34.	भरतपुर	जनुआ	519	0.022	बड़े झाड़ के जंगल	
35.	भरतपुर	जनुआ	524	0.013	बड़े झाड़ के जंगल	
36.	भरतपुर	जनुआ	547	0.005	बड़े झाड़ के जंगल	
37.	भरतपुर	जनुआ	552	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
38.	भरतपुर	जनुआ	620	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
39.	भरतपुर	लरकोड़ा	955	0.002	छोटे झाड़ के जंगल	
कुल योग				0.244		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में हैं जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जानें के संबंध में विधिवत् वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



(Signature)
 (डोमन सिंह)
 कलेक्टर
 जिला कोरिया
 जिला कोरिया

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Korea

No: 120

Date: 13/01/2020

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 5.612 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G.** (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Manendragarh Forest Division falls within jurisdiction of **Korea District i.e Bharatpur Block.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **5.612 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (**Not Applicable**)
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; (**Not Applicable**)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).


Collector
District- Korea
(Chhattisgarh)